प्रश्न सं. [क्र. 2527]

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 2527 द्वारा श्री गिरीश गौतम — परिशिष्ट (1-1)

कार्यालय अधीक्षण यंत्री

लोक निर्माण विभाग रीवा मंडल रीवा

web site :- www.mp.gov.in/pwdmp email :- sepwdrewa-mp@mp.nic.in
Phone - 07662-255390 Fax :- 07662-255390

निरीक्षण टीप

निरीक्षण दिनांक	:-	07/06/2017
निरीक्षणकर्ता अधिकारी	:-	इंजी० पी०के० झॉ. अधीक्षण यंत्री लो०नि०वि० मंडल रीवा
उपस्थित अधिकारी/संविदाकार	1.	श्री सुधीर शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. उपसंभाग मनगवॉं रीवा
	2.	श्री पी.के सिंह, उपयंत्री
कार्य का नाम	:-	रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का निर्माण लंबाई 4.00 कि.मी.।

इस मार्ग की कुल लंबाई 4.00 कि.मी. है, यह कार्य योजना मद अंतर्गत मांग संख्या 24-5054 में स्वीकृत है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर कार्य भू-अर्जन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण बंद है। कलेक्टर जिला रीवा के निर्देशानुसार मौहरिया ग्राम के ग्रामीणों के शिकायती पत्र के निराकरण हेतु गांव के दोनों पक्षों को बुलाया गया तथा पुराना रेखण EFGH एवं प्रस्तावित अंकित नया रेखण ABCD का ग्रामीणों के साथ भ्रमण कर अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नानुसार बिन्दु उभरकर आये :-

1. पुराना रेखण EFGH गांव के बाहर से गुजरता है, परन्तु इस रेखण पर निर्माण हो जाने से मौहरिया गांव के पूरी आबादी को आवागमन सुलभ नहीं हो पावेगा। इस प्रस्ताव में पूरा का पूरा रकवा कृषि भूमि 1.263 हे० में भू-अर्जन प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित नया रेखण ABCD सिंचित कृषि भूमि से गुजरता है परन्तु इस रेखण के निर्माण हो जाने से मौहरिया गांव की पूरी आबादी हेतु आवागमन सुलभ हो जावेगा। इस रेखण में 1.928 हे० रकवा अधिग्रहण में है जिसमें से 0.921 हे० रकवा का अंतरजन किया गया है। शेष 1.008 हे० रकवा का अधिग्रहण किया जाना है।
3. पुराने एव प्रस्तावित नये रेखण अंतिम छोर में एक ही स्थान में मिलते हैं, परन्तु नये रेखण का कुछ भाग श्मशान की भूमि तथा नदी के किनारे से गुजरता है। इस भाग पर मार्ग का निर्माण हो जाने से जल भराव की समस्या निर्मित हो सकती है। नियमानुसार किसी भी श्मशान एवं देवस्थान आदि से मार्ग का रेखण (निर्माण) नहीं होना चाहिए। साथ ही पुराने रेखण में 1.283 – 1.008 = 0.275 हे० अतिरिक्त कृषि भूमि का अधिग्रहण मार्ग के निर्माण में करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में गांव के दोनों पक्षों से बात की गयी एवं सहमति बनाकर नये रेखण ABCD के अंतिम छोर के 300 मीटर रेखण को परिवर्तित कर संशोधित रेखण की आवश्यकता है, तदानुसार दोनों पक्षों की सहमति से संशोधित नये रेखण को निर्माण की सहमति बनाते हुये अंतिम छोर में रेखण को पूर्व की ओर PQR alignment पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है।

अतः कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी को तदानुसार भू-अर्जन का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर अविलंब प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अधीक्षण यंत्री
लो.नि.वि. रीवा मंडल, रीवा

पृष्ठांकन क्रमांक 894 /कार्य/2017 रीवा दिनांक 12-06-17

प्रतिलिपि :- 1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रीवा परिक्षेत्र रीवा की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग मनगवॉं की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्न - MAP-1 NO.
FOR S.NO. 3,4,5

अधीक्षण यंत्री
लो.नि.वि. रीवा मंडल, रीवा

Sepwd/santosh/com/inspection/1.

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय